संख्या-106/2016-292 /नौ-5-16-211बजट/2010

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल,2016

विषयः: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत, चन्दौली जनपद चन्दौली की पुनर्गठन पेयजल योजना की द्वितीय/अंतिम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 20/ नागर-2/033-410/16, दिनांक 20.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत, चन्दौली जनपद चन्दौली की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 448.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि शासनादेश सं0-599/नौ-5-2011-211बजट/2010, दिनांक 21.04.2011 द्वारा अवमुक्त की गयी थी, का व्यय हो जाने आधार पर द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रू0 348.69 लाख (रू0 तीन करोड़ अड़तालीस लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश सं0-599/नौ-5-2011-211बजट/2010, दिनांक 21.04.2011 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि

निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकस निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-106/2016-292/नौ-5-16-211बजट/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/ चन्दौली।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (वा0 क्षे0), 30प्र0 जल निगम, वाराणसी ।
9- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, 30प्र0 जल निगम, चन्दौली।
10- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चन्दौली जनपद चन्दौली ।
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-28/04/2016

प्रेषण संख्या:- 106

आवंटन आदेश संख्या:- 001-106-2016-292-9-5-16-211B-10

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	34869000 34869000	34869000 34869000
	योग	वर्तमान प्रगामी	34869000 34869000	34869000 34869000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ अड़तालीस लाख उनहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ अड़तालीस लाख उनहत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी